न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/510
दायरा तिथि : 18.12.2024
आदेश तिथि : 29-01-2025
प्रार्थी :– श्रीमती हेमलता पत्नी ओमप्रकाश बोराणा जाति घांची निवासी सुमेरपुर जिला पाली राज.

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 29-01-2025

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 508/2503 रकबा 0.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 508 रकबा 3.28 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमांक/राजस्व/2025/191 दिनांक 17.01.2025 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कटान मार्ग तक आवागमन हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ता निकटतम है लेकिन उक्त प्रस्तावित रास्ता देने से खसरा नंबर 508 रकबा 3.28 हैक्टर के दो टुकडे हो जायेंगे।
2. यह है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है, लेकिन अन्य प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित नहीं है।
3. यह है कि ग्राम बिसलपुर में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	508	3.28 हैक्टर	बा. दो.	19X9=171 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

अन्य विकल्पः– नायब तहसीलदार बेडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बिसलपुर में अन्य विकल्प के रूप में प्रस्तावित रास्ते में खसरेवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	508	3.28 हैक्टर	बा. दो.	33X9=297 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

4. यह है कि नायब तहसीलदार बेडा द्वारा राजकीय आराजी के दो भाग न हो, इसलिये बिन्दु संख्या 3 के (।।) अन्य प्रस्तावित रास्ता संलग्न नक्शा अनुसार दिया जाना उचित बताया है।
5. यह कि नायब तहसीलदार बेडा द्वारा प्रस्तावित भूमि की पंजीयन कार्यालय अनुसार डी.एल.सी. दर 3,50,000रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतू उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण मे तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी,बाली

(मुहर: उप-खण्ड अधिकारी, ... जिला - पाली)

पेज लगातार..........02

CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/510

अनवान हेमलता बोराणा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 508/2503 रकबा 0.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली ने जांच कर पत्रांक क्रमाक/राजस्व/2025/191 दिनाक 17.01.2025 से आवेदित रास्ता एवं वैकल्पिक रास्ता दिये जाने की रिपोर्ट पेश की है। तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को आवेदित रास्ता दिये जाने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 508 रकबा 3.28 हैक्टर दो भागो में पृथक हो जाने से आवेदित रास्ता दिया जाना संभव नही है। अत तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को अन्य वैकल्पिक रास्ता दिया जाना ही न्यायसंगत है।

अत: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 508/2503 रकबा 0.2500 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नबर 508 रकबा 3.28 हैक्टर में से **297 वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **नायब तहसीलदार बेडा द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 350000 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
508	3.28 हैक्टर	33X9=297 वर्गमीटर	35	10395X2=20790	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 20790/- (अक्षरे बीस हजार सात सौ नब्बे रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। नायब तहसीलदार बेडा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(विमलेश बिश्नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली

क्रमॉक/कोर्ट/2025/108-113 दिनांक 30-1-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करे।
2. नायब तहसीलदार बेडा
3. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
4. पटवारी हल्का बिसलपुर
5. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
6. आवेदक हेमलता पत्नी ओमप्रकाश बोराणा जाति घांची निवासी सुमेरपुर जिला पाली राज. को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

CamScanner

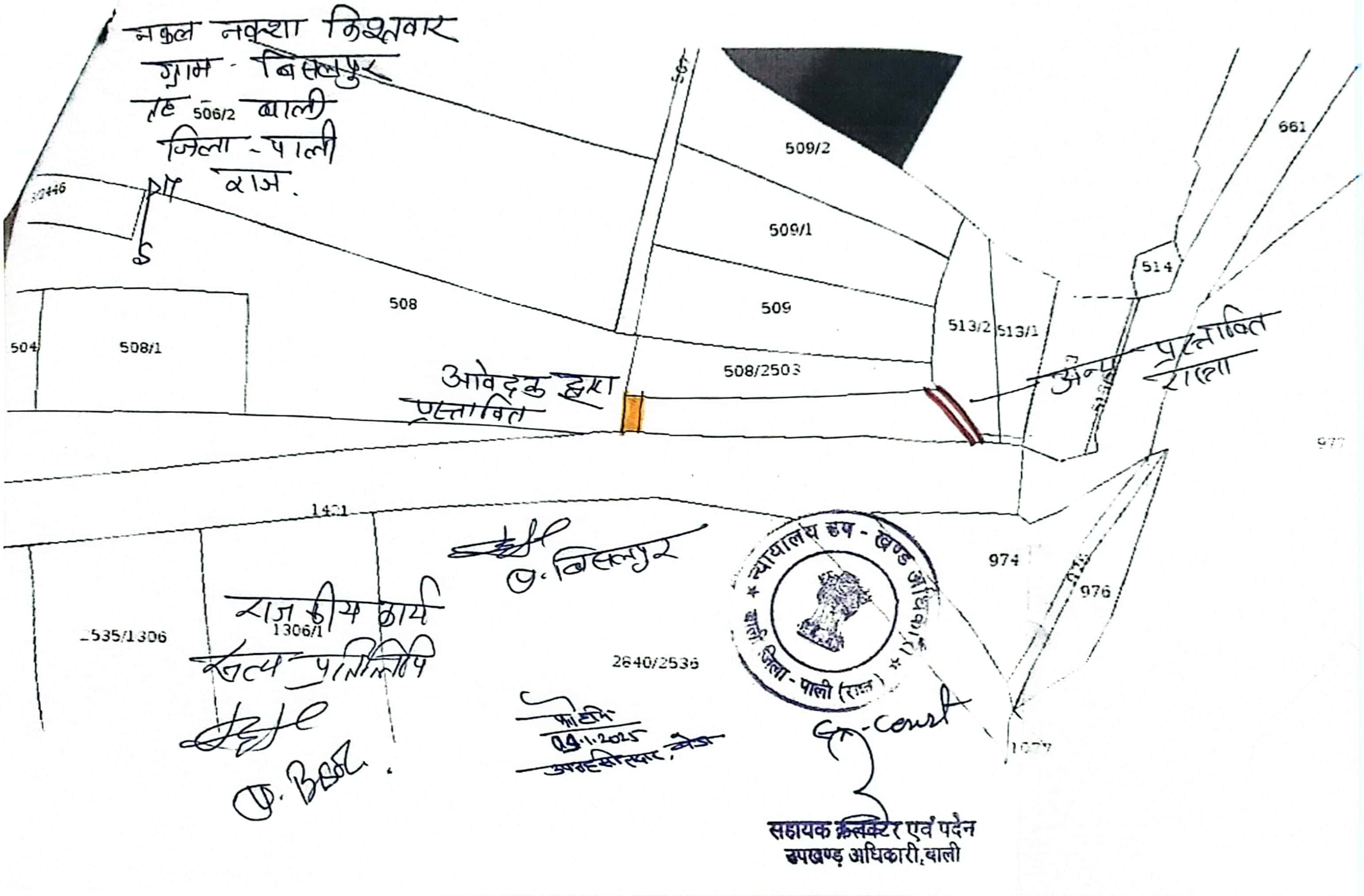

नकल नक्शा किश्तवार
ग्राम - बिसलपुर
तह. बाली
जिला - पाली
राज.
506/2
509/2
661
509/1
514
508
509
513/2
513/1
504
508/1
508/2503
आवेदक द्वारा प्रस्तावित
अन्य प्रस्तावित रास्ता
1421
974
976
2535/1306
1306/1
2640/2536
राजकीय कार्य
सत्य प्रतिलिपि
न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)
04.1.2025
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

CamScanner